

वायनाड में मतदान गत चुनाव की तुलना में दस प्रतिशत घटा

प्रियंका गांधी के बड़े अंतर से जीत के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-
नई दिल्ली, 13 नवम्बर। विधिन राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं तथा झारखण्ड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं पर जो रुझान नज़र आ रहे हैं वे काफी रोक हैं।

राजस्थान में सात सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस जिसका कोई भी बड़ा नेता चुनाव प्रचार में मौजूद नहीं है फिर भी पार्टी को 7 में से 3 सीटें जीतने की उमीद है। ये सीटें ही झंगुरुं राजाड़ में उपचुनाव हो रहा है और ममता बनर्जी को सभी 6 सीटों जीतने का उपर्योग है। वहाँ कोई विकास नहीं है केंद्रीय बल मतदान केन्द्र के दायरे से बाहर है और मजे कर रहे हैं तथा पुलिस अपना काम कर रही है।

विहार में चार सीटों पर उपचुनाव है तथा प्रशांत किशोर ने सभी चार सीटों पर प्रत्याशी खड़े किये हैं उन्हें यहाँ खाता खुलने की उमीद थी पर खबरें हैं कि वे काफी पीछे हैं। एक सीट भाजपा और तीन सीटें जीतने की उमीद है। यहाँ एक सीट पर भाजपा व तीन पर राष्ट्रीय जनता दल जीतने की स्थिति में है।

- बुधवार को विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों तथा झारखण्ड विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के रोचक रुक्ण उभर रहे हैं।
- राजस्थान में सात सीटों के लिए मतदान हुआ, कांग्रेस के तीन सीटें जीतने की उमीद है जबकि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चुनाव प्रचार में नहीं दिखा।
- बिहार में चार सीटों के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की नई पार्टी ने प्रत्याशी उतारे। प्रशांत को जीत की उमीद थी पर वे काफी पीछे हैं। यहाँ एक सीट पर भाजपा व तीन पर राष्ट्रीय जनता दल जीतने की स्थिति में है।
- पंजाब में राजस्थान के प्रभारी सुखिंदर सिंह रंधारा की पल्ली चुनाव लड़ रही है, उनकी हालत खराब है, क्योंकि, यहाँ आप पार्टी से गठबंधन ठूट गया है। कारण है प्रताप सिंह बाजावा, जिन्होंने आप के खिलाफ धूंआधार प्रचार किया है।

भाजपा आगे है, हालांकि, झारखण्ड मुक्त मार्ग ने अपनी सीटों तथा आधार पर पकड़ बना रखी है और कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर पार्टी है और उसका प्रदर्शन फैका है।

रोचक बात है कि, झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेतु सारें, जो राहुल गांधी को रिसेप्शन करने के लिए एक पार्टी तो गए लेकिन, सर्विनियन में चुनाव में उनके साथ नहीं थे। दोनों नेताओं ने किसी भी जॉइंट मीटिंग को संबोधित नहीं किया है, जिससे कई लोग आश्वसित हैं, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से गठबंधन है।

शहरी सीटों पर कांग्रेस का मुकाबल भाजपा से है, इसलिए, माना जा रहा है कि झारुमों की तुलना में उसका प्रदर्शन खराब होगा, जो ग्रामीण और जनजातीय सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति नाज़ुक नज़र आ रही है। नौ उपचुनाव, जो आज होने थे, को 20 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। चार्चा यह है कि झाजपा को कुछ और समय चाहिए था, ताकि वे के लिए इस राज्य में स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी लाभ की स्थिति में हो। महाराष्ट्र में एक ही दिन, 20 नवम्बर को चुनाव होते हैं, जबकि, मतदान 23 नवम्बर को होगी।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

अधिकारी ने कहा पूर्व सदस्य रामपूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है